समक्ष सतीश कुमार मित्तल , न्यायमूर्ति
सुशील कुमार - याचिकाकर्ता

बनाम

नीलम - उत्तरदाता

. सीआरएल. 2002 के एम नंबर 27433-एम

18 मार्च, 2004

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 S. 125(1)(b) डिक्री - आपसी सहमति से तलाक - पार्टियों के बीच समझौता कि पत्नी भविष्य में भरण-पोषण का दावा नहीं करेगी - पत्नी आपसी तलाक के बाद पुनर्विवाह का अनुबंध नहीं करेगी - पत्नी खुद को बनाए रखने में विफल रही और रखरखाव का दावा करने में विफल रही - क्या एक पत्नी अपनी शादी के विघटन के बाद रखरखाव की हकदार है - हां - यदि एक तलाकशुदा पत्नी खुद को बनाए रखने में असमर्थ है और उसने फिर से शादी नहीं की है, वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार है- केवल इसलिए कि आपसी सहमति से तलाक की डिक्री देने के समय वह भविष्य में गुजारा भत्ता का दावा नहीं करने पर सहमत हुई थी, उसे गुजारा भत्ता का दावा करने से रोक या रोक नहीं सकती __ है, यदि किसी समझौते का उद्देश्य या विचार किसी कानून के प्रावधानों को पराजित करेगा, और यदि यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, समझौते को गैरकानूनी और शून्य माना जाएगा।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 125 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण (बी) के कारण, एक महिला जिसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत परिवार न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री के कारण उसके पति द्वारा तलाक दे दिया गया है, अपने पूर्व पति से भरण-पोषण भत्ते का दावा करने के सीमित उद्देश्य के लिए पत्नी का दर्जा प्राप्त करना जारी रखती है। एक तलाकशुदा पत्नी द्वारा संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा संहिता की धारा 125 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण (बी) के तहत प्रदान किए गए आधार पर आधारित है। यदि तलाकशुदा पत्नी खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, और यदि उसने फिर से शादी नहीं की है, तो वह रखरखाव भत्ते का दावा करने की हकदार होगी। यदि वह खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं है और अविवाहित रहती है, तो वह व्यक्ति जो कभी उसका पति था, उसे गुजारा भत्ता प्रदान करने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य और दायित्व के तहत रहता है।

इसके अलावा, कहा गया कि पत्नी, बच्चों और बूढ़े माता-पिता द्वारा भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार, जो खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं, राज्य द्वारा सार्वजनिक नीति के रूप में संहिता की धारा 125 के तहत प्रदान किया गया है। 'पत्नी' की परिभाषा को भी क़ानून द्वारा विस्तारित अर्थ दिया गया है ताकि एक पत्नी को जीवन में सुरक्षा प्रदान की जा सके जिसकी शादी तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दी गई है और जो एक निराश्रित होने के नाते खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। यह सार्वजनिक नीति का मामला है, किसी व्यक्ति का नहीं। ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक नीति के तहत जो वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है, उसे उक्त व्यक्ति द्वारा आपसी समझौते से माफ नहीं किया जा सकता है। यह भी अच्छी तरह से तय है कि कोई भी अनुबंध जो सार्वजनिक नीति का विरोध करता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के तहत शून्य है और इसे कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। यदि किसी समझौते का उद्देश्य या विचार किसी भी कानून के प्रावधानों को हरा देगा, और यदि यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, तो समझौते को गैरकानूनी और शून्य माना जाएगा।.

)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील अमन कश्यप ने पैरवी की।
उत्तरदाताओं के लिए कोई नहीं।.

निर्णय

सतीश कुमार मित्तल, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादी के पूर्व पति हैं, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) के तहत यह याचिका दायर की है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ (अनुबंध पी -1) द्वारा पारित 8 फरवरी, 2000 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अंतरिम रखरखाव के रूप में प्रति माह 200 रुपये की राशि दी गई है। उसकी तलाकशुदा पत्नी द्वारा दायर एक आवेदन पर; और उपर्युक्त आदेश की पुष्टि करते हुए चंडीगढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 30 अगस्त, 2001 का आदेश (अनुलग्नक पी-2)।

2. इस याचिका में शामिल एकमात्र सवाल यह है कि क्या एक पूर्व पत्नी संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव की हकदार है, जब पार्टियों के बीच विवाह सहमति तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दिया गया था, और उस समय पक्षों के बीच यह सहमति हुई थी कि प्रतिवादी-पत्नी भविष्य में रखरखाव का दावा नहीं करेगी।

3. इस मामले में, पक्षों के बीच विवाह 11 अक्टूबर, 1993 को संपन्न हुआ था। उक्त विवाह से दो मुद्दे पैदा हुए थे। बाद में, पार्टियों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंततः धारा 13-बी के तहत उनके संयुक्त आवेदन पर।हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, 23 नवंबर, 1995 को विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित की गई थी। तलाक के लिए उनकी संयुक्त याचिका में, एक शर्त थी कि प्रतिवादी पत्नी कानून के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी समय या भविष्य में याचिकाकर्ता-पति से किसी भी रखरखाव का दावा नहीं करेगी। अदालत के समक्ष अपने बयान में, प्रतिवादी-पत्नी ने यह भी कहा कि वह भविष्य में याचिकाकर्ता से किसी भी रखरखाव का दावा नहीं करेगी। माना कि आपसी तलाक के बाद प्रतिवादी-पत्नी ने दोबारा शादी नहीं की है। वह अकेली रह रही है। हालांकि, पति ने दूसरी शादी कर ली है।.

4. तलाक के बाद, प्रतिवादी-पत्नी यहां खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं थी। उसके अनुरोध के बावजूद, याचिकाकर्ता ने उसे बनाए रखने से इनकार कर दिया था। इसलिए, 2 जून, 1999 को, प्रतिवादी-पत्नी ने भरण-पोषण के लिए संहिता की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह याचिकाकर्ता की पूर्व पत्नी थी। उसने कोई पुनर्विवाह नहीं किया। वह खुद को बनाए रखने में असमर्थ थी, और याचिकाकर्ता ने उसे बनाए रखने से इनकार कर दिया था।

5. याचिकाकर्ता ने दो आधारों पर उपरोक्त आवेदन का विरोध किया। सबसे पहले, चूंकि पार्टियों के बीच विवाह आपसी सहमति से भंग हो गया था, इसलिए, संहिता की धारा 125 की उप-धारा (4) के मद्देनजर, प्रतिवादी-पूर्व पत्नी भरण-पोषण के लिए हकदार नहीं है क्योंकि दोनों पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग-अलग रह रहे थे। इसके अलावा, याचिकाकर्ता दोनों पक्षों के बीच हुए विवाह से पैदा हुए दो बच्चों की देखभाल कर रहा है। दूसरा, पक्षकारों के बीच पहले हुए समझौते और अदालत में पत्नी द्वारा दिए गए बयान को देखते हुए कि वह याचिकाकर्ता से भविष्य में गुजारा भत्ता का दावा नहीं करेगी, उसे गुजारा भत्ता का दावा करने से रोका जाता है।

6. ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दोनों दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि प्रतिवादी-पूर्व पत्नी गुजारा भत्ता के लिए हकदार थी और तदनुसार 8 फरवरी, 2000 के आदेश के तहत अंतरिम रखरखाव के रूप में 200 रुपये प्रति माह की राशि दी गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण पर, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के उक्त आदेश की पुष्टि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2001 के आदेश द्वारा की गई थी। प्रतिवादी-पूर्व पत्नी को 200 रुपये की मामूली

राशि देने के खिलाफ अभी भी व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने संहिता की धारा 482 के तहत तत्काल याचिका दायर की है।

7. पक्षकारों के वकीलों को सुनने और मामले के निष्कर्षों को देखने के बाद, मुझे इस याचिका में कोई दम नजर नहीं आता। जहां तक तथ्यों का संबंध है, कोई विवाद नहीं है। शादी अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा पार्टियों के बीच भंग कर दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि प्रतिवादी-पूर्व पत्नी भविष्य में याचिकाकर्ता से किसी भी गुजारा भत्ता का दावा नहीं करेगी, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि प्रतिवादी-पूर्व पत्नी ने पुनर्विवाह नहीं किया। दोनों न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ थी। ऐसे में क्या प्रतिवादी-पूर्व पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। संहिता की धारा 125 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण (बी) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 'पत्नी' शब्द में एक महिला शामिल है जिसे तलाक दिया गया है या उसने अपने पति से तलाक प्राप्त किया है और फिर से शादी नहीं की है।

8. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने वनमाला बनाम एचएम रंदनथ भट्ट (1) मामले में कहा था, यह अच्छी तरह से तय है कि आपसी सहमति से तलाक लेने वाली पत्नी को संहिता की धारा 125 (4) के आधार पर गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि पार्टियों के बीच विवाह सहमति तलाक की डिक्री द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो यह आपसी सहमति से अलग रहने के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार, रोहताश सिंह बनाम रामेंद्री (श्रीमती) और अन्य (2) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संहिता की धारा 125 की उप-धारा (आई) के स्पष्टीकरण (बी) के कारण, एक महिला, जिसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत परिवार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के कारण उसके पति द्वारा तलाक दे दिया गया है, अपने पूर्व पति से भरण-पोषण भत्ते का दावा करने के सीमित उद्देश्य के लिए पत्नी की स्थिति का आनंद लेना जारी रखता है। एक तलाकशुदा पत्नी द्वारा संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा संहिता की धारा . 125 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण (बी) के तहत प्रदान किए गए आधार पर आधारित है। यदि तलाकशुदा पत्नी खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, और यदि उसने फिर से शादी नहीं की है, तो वह रखरखाव भत्ते का दावा करने की हकदार होगी। तलाक के बाद एक महिला बेसहारा हो गई। यदि वह खुद को बनाए रखने

में सक्षम नहीं है और अविवाहित रहती है, तो वह व्यक्ति जो कभी उसका पति था, उसे गुजारा भत्ता प्रदान करने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य और दायित्व के तहत रहता है। इसलिए, जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

9.अब जिस सवाल का जवाब दिया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी-पूर्व पत्नी को इस दलील पर उक्त गुजारा भत्ता का दावा करने से रोक दिया गया है या रोक दिया गया है कि आपसी सहमति से तलाक की डिक्री देने के समय, वह भविष्य में याचिकाकर्ता से गुजारा भत्ता का दावा नहीं करने के लिए सहमत हुई थी। मेरी राय में, याचिकाकर्ता की उपरोक्त दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पत्नी, बच्चों और बूढ़े माता-पिता द्वारा भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार, जो स्वयं को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं, राज्य द्वारा सार्वजनिक नीति के रूप में संहिता की धारा 125 के तहत प्रदान किया गया है। "पत्नी" की परिभाषा को क़ानून द्वारा विस्तारित अर्थ भी दिया गया है ताकि एक पत्नी को जीवन में सुरक्षा प्रदान की जा सके जिसकी शादी तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दी गई है और जो एक निराश्रित होने के नाते खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। यह सार्वजनिक नीति का मामला है, किसी व्यक्ति का नहीं। ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक नीति के तहत जो वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है, उसे उक्त व्यक्ति द्वारा आपसी समझौते से माफ नहीं किया जा सकता है। यह भी अच्छी तरह से तय है कि कोई भी अनुबंध जो सार्वजनिक नीति का विरोध करता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के तहत शून्य है, और इसे कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। यदि किसी समझौते का उद्देश्य या विचार किसी भी कानून के प्रावधानों को हरा देगा, और यदि यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, तो समझौते को गैरकानूनी और शून्य माना जाएगा। इसी तरह की स्थिति में केरल उच्च न्यायालय ने सदाशिवन पिल्लई बनाम विजयलक्ष्मी (3) मामले में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत दोनों पक्षों द्वारा दायर संयुक्त आवेदन में केवल पत्नी ने एक-दूसरे के व्यक्ति या संपत्ति पर अपना अधिकार त्याग दिया है, जो संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा करने के लिए कोई रोक नहीं है।

10. इस मामले में, प्रतिवादी-पूर्व पत्नी, जो निराश्रित जीवन में रह रही है और उसने फिर से शादी नहीं की है, और खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, को "सबसे फिट समाज के अस्तित्व" में जीवित रहने के लिए न्यूनतम जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। एक पूर्व पति, हालांकि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, उसे अपनी पूर्व पत्नी को न्यूनतम मात्रा में गुजारा भत्ता प्रदान करने के अपने वैधानिक कर्तव्य और दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। मेरी राय में, प्रति माह 200 रुपये की राशि एक छोटी राशि है। इस छोटी

सी रकम से इस दुनिया में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए, प्रतिवादी के लिए अंतरिम गुजारा भत्ता की राशि बढ़ाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाने का विकल्प खुला होगा।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी , हरियाणा